फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री इन्द्रदास | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 06 / 21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	[illegible]

दिनांक 08.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प महुडा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र को ही बहस माना जाने का निवेदन कर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही बहस माना जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में पूर्व में भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज थी, जिसे श्री ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी गई हैं जबकि पूर्व में भूमि हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज थी, जिसे पुनः अपने नाम दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि वर्तमान में ठाकुरजी स्थान देह के नाम एवं परमेश्वर राज जी स्थान कैलाशपुरी के नाम पर दर्ज हैं। जमाबन्दी बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 में भूमि ठाकुरजी स्थान देह के खाते दर्ज थी एवं प्रार्थीगण के पूर्वज गणेशदास पिता नवलदास वैरागी का नाम पुजारी की हैसियत से शिकमी रूप में दर्ज था। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के आदेश क्रमांक 1147/91/04150–63 दिनांक 28.12.91 से मन्दिर देव मूर्ति खातेदारी भूमि से पुजारी का नाम खाते से विलोपित करने के आदेश की पालना में ग्राम डिंगरकिया के नामान्तरकरण सं. 206 एवं ग्राम महुडा में नामान्तरकरण सं. 239 से खातों में पुजारी के नाम विलोपित कर दिये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में पुनः अपना नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा डिंगरकिया की भूमि पूर्व में ठाकुर जी स्थान एवं मौजा महुडा की भूमि परमेश्वरराज जी स्थान कैलाशपुरी के नाम पर दर्ज थी, जिसमें प्रार्थीगण के पुर्वज का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज था, जिसे श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के आदेश क्रमांक 1147/91/04150–63 दिनांक 28.12.91 से मन्दिर देव मूर्ति खातेदारी भूमि से पुजारी का नाम खाते से विलोपित करने के आदेश की पालना में ग्राम डिंगरकिया के नामान्तरकरण सं. 206 एवं ग्राम महुडा में नामान्तरकरण सं. 239 से खातों में पुजारी के नाम विलोपित कर दिये गये हैं। अतः प्रकरण में राज्य सरकार के आदेशानुसार [illegible] खातों से विलोपित किये गये हैं। प्रार्थीगण के मौरूस खातेदार न[illegible] इनका नाम पुजारी की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में नाम [illegible] ठाकुर जी स्थान देह एवं परमेश्वरराज जी स्थान कैलाशपुरी [illegible] प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:39:26 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।